vkBok v/;k;% lwpuk izkS|ksfxdh dk ys[kkijh{kk

b&pkyku dk fØ;kUo;u dk fu"iknu ys[kkijh{kk

eq[; fu"d"kZ

ई–चालान परियोजना के क्रियान्वयन के प्रबंधन के लिए निगरानी समिति का गठन नहीं किया गया। प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु सॉफ्टवेयर की समांतर जाँच का आयोजन नहीं किया गया।

¼dafMdk 8-8½

यद्यपि विभाग द्वारा सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेशीफिकेशन (एस.आर.एस.) और यूजर रिक्वायरमेंट स्पेशीफिकेशन (यू.आर.एस.) तैयार किया गया था परंतु इसके क्रियाकलाप के नियम, कार्य की दिशा एवं तकनीकी विशेषताएं जो नये कम्युटरीकृत प्रणाली के लिए आवश्यक है मौजूद नहीं होने से अपूर्ण था। पुनः विभाग द्वारा सिस्टम डिजाइन डाक्यूमेंट (एस.डी.डी.) तैयार नहीं किया था।

¼dafMdk 8-9½

इनपुट कंट्रोल एवं वंलिडेशन चेक्स ई–चालान सोफ्टवेयर में समुचित रूप से समाहित नहीं थे।

¼dafMdk 8-10½

कोषालय द्वारा बैंक में ई–चालान के माध्यम से प्राप्त राशि का लेखांकन में राशि प्राप्त होने की तिथी से 10 दिवस से पांच माह के विलम्ब से किया गया। कोषालय स्तर पर निगरानी प्रणाली के अभाव के कारण लेखांकन में विलंब दृष्टिगत नहीं हुआ।

¼dafMdk 8-12½

विभागीय क्रियाकलापों के पालन में असफलता से फैंसी नम्बर के आबंटन के लिए फीस की बढ़ी हुई दर को विभाग द्वारा डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन (DPR) सॉफ्टवेयर में अद्यतन नहीं किया फलस्वरूप राशि ₹ 3.56 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

¼dafMdk 8-17½

वाहन के डीलरों एवं परिवहन विभाग के बीच हुए अनुबंध के अनुसार ये आवश्यक है की डिलर कर एवं शुल्क के रूप में प्राप्त किये गये शासकीय राजस्व को उसी दिन संबंधित मुख्य शीर्ष में आनलाईन जमा करेगा। किंतु डीलरों ने शासकीय राजस्व को दो से 1488 दिनों के विलम्ब से जमा किया। यद्यपि यह डीलर मात्र नये वाहनों के ही पंजीयन करने हेतु अधिकृत थे किंतु इनके द्वारा डीलर पाइंट रजिस्ट्रशन से पुराने वाहनों का भी पंजीयन किया।

¼dafMdk 8-18 ,oa 8-21½

संचालनालय कोष ई–चालान डाटा को उपयोग करने वाले समस्त विभागों के माड्यूल से एकीकृत करने में असफल रहा जिसके फलस्वरूप कई स्तर पर मानवीय हस्ताक्षेप हुआ। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों में उपयोग किये जा रहे सॉफ्टवेयरों को एकीकृत नहीं होने से गलत भुगतान प्रदर्शित हुआ, चालानों में हेरफेर इत्यादि हुए।

¼dafMdk 8-16 ,oa 8-22½

- मास्टर डाटा की विश्वसनियता कायम नहीं रही क्योंकि एक ही चालान के एक से अधिक अभिलेख मौजूद थे।

¼dfMdk 8-23½

- ई–चालान के क्रियान्वयन में सही प्रचलित रीतियों का अनुसरण करने में वाणिज्यिक कर विभाग असफल रहा जिसके फलस्वरूप डीलरों द्वारा जमा किये गये ई–चालान के विवरणों की सम्पूर्णता, परिशुद्धता एवं वैधता को प्रमाणित नहीं किया जा सका।

¼dfMdk 8-24½

- विभिन्न करों के भुगतान में समान चालानों की प्रविष्टि रोकने के लिए COMTAX सॉफ्टवेयर में इनपुट एवं वेलिडेशन जाँच लगाने में वाणिज्यिक कर विभाग असफल रहा। इसके फलस्वरूप समान चालानों को वैट एवं प्रवेश कर के भुगतान में प्रयोग किया गया ।

¼dfMdk 8-27½

8-1 iLrkouk

ई–चालान सॉफ्टवेयर एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर है जिसे एक इन्टरनेट ऑनलाईन बैंक सेवा के माध्यम से कर दाताओं जिनका आनलाईन बैंक खाता है को आनलाईन भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। इस सॉफ्टवेयर को कोष संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र रायपुर के माध्यम से विकसित किया। एक कस्टमाईज चालान फार्म में इटरनेट के द्वारा बैंक गेट वे के मार्फत से शासकीय प्राप्तियाँ स्वीकार की जाती है और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के नियम 64 अ एवं 64 ब के अनुसार कोषालय और विभागों को प्रेषित की जाती है।

इस के अतिरिक्त परिवहन विभाग द्वारा करदाताओं को मोटर वाहन कर का भुगतान करने हेतु एक अन्य पोर्टल डीलर पांइट रजिस्ट्रेशन (डी.पी.आर.) का सुविधा प्रारंभ की गई (2012)। डी.पी.आर. साफ्टवेयर स्मार्ट चीप लिमिटेड द्वारा विकसीत किया गया है। शासकीय प्राप्तियों का भुगतान बैंक गेटवे के माध्यम से पोर्टल में उपलब्ध ई–फार्म में वांछित जानकारी भर कर किया जा सकता है। उक्त डेटा को प्रति दिन के अंत में प्राप्ति खाते में संकलन के लिये बैंकों द्वारा संबंधित कोषालय को भेजा जाता है। नागरिकों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिये एक नागरिक इन्टर फेस भी प्रदान किया गया।

8-2 y[kkijh{kk mn~ns';

e[; mís'; ;g eY;kdu djus d fy, Fk fd%

- क्या ई–चालान के क्रियान्वयन से पहले विभाग द्वारा उचित योजना तैयार की गई;
- क्या आई.टी. वातावरण में परिचालन करने के लिये सभी नियंत्रणों को परिभाषित किया गया;
- क्या प्रणाली के अनुपालन में क्रियाकलापों का पालन करते हुये आवश्यक ऍप्लीकेशन नियंत्रण को परिभाषित किया गया;
- क्या आई.टी. वातावरण में कार्य करने के लिये मानव शक्ति को आवश्यक प्रशिक्षिण दिया गया और
- क्या ई–चालान के क्रियान्वयन के बाद नागरिक/हितधारकों के सेवाओं के परिचालन क्षमता में सुधार हुआ।

8-3 laxBukRed lajpuk

संचालनालय कोष, लेखा एवं पेशन[1], छत्तीसगढ़ शासन ई–चालान सॉफ्टवेयर को लागू करने के लिए नोडल ऐजेंसी था। संचानालय कोष, सचिव वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।

8-4 ys[kk ijh{kk dh i)fr ,oa dk;Z{ks=

लेखा परीक्षा की पद्धति एवं कार्य क्षेत्र में ई–चालान के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखा परीक्षा के लिये शासन के प्रमुख राजस्व अर्जन करने वाले विभाग होने के कारण वाणिज्यकर एवं परिवहन विभाग का चयन किया गया। संचालनालय कोष नोडल एजेंसी होने के कारण इसका चयन किया गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माड्यूल में डेटा बेस की पूर्णतः नियमितता और निरंतरता का पता लगाने के लिये दो विभागों की 11 ईकाईयों[2] का चयन सरल यादृच्छिक प्रतिचयन के आधार पर किया गया। चूंकि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र और स्मार्ट चिप्स (डी.पी.आर.) द्वारा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था। अतः अतिआवश्यक डेटा इन संस्थाओं से प्राप्त किया गया।

लेखा परीक्षा मई 2015 से अगस्त 2015 के बीच की गई जिसमें वर्ष 2010–11 से 2014–15 के लेखाओं को सम्मिलित किया गया था। ई–चालान से संबंधित रिकार्ड/फाईलों और डाटा (ओरेकल डम्प डाटा) का विश्लेषण, स्ट्रेक्चर क्योरी लेंगवेज (SQL) और एक्सल के माध्यम से किया गया था।

8-5 ys[kk ijh{kk ekun.M

निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों आदि के प्रावधानों लेखा परीक्षा के मानदण्ड थे:

- छत्तीसगढ़ मुल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2005;
- केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956;
- छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976;
- छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 और उसके अधिन बनाये गये नियम; और
- विभाग और शासन द्वारा समय–समय पर जारी किय गये दिशा निर्देश, मार्गदर्शिका, मानक आदि।

---

[1] संचालक कोष

[2] परिवहन विभाग– आयुक्त (परिवहन), क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (क्षे.प.अ.) बिलासपुर, क्षे.प.अ. जगदलपुर, क्षे.प.अ. रायपुर, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (अति.क्षे.प.अ.) दुर्ग, अति.क्षे.प.अ. राजनांदगांव एवं जिला परिवहन अधिकारी जशपुर, वाणिज्यिक कर विभाग– वाणिज्यिक कर अधिकारी (वा.क.अ.) दुर्ग, वा.क.अ., वृत्त–7, रायपुर एवं सहायक आयुक्त–2, संभाग–2, रायपुर।

8-6 bl&pkyku ifØ;k dh Qyk pkV

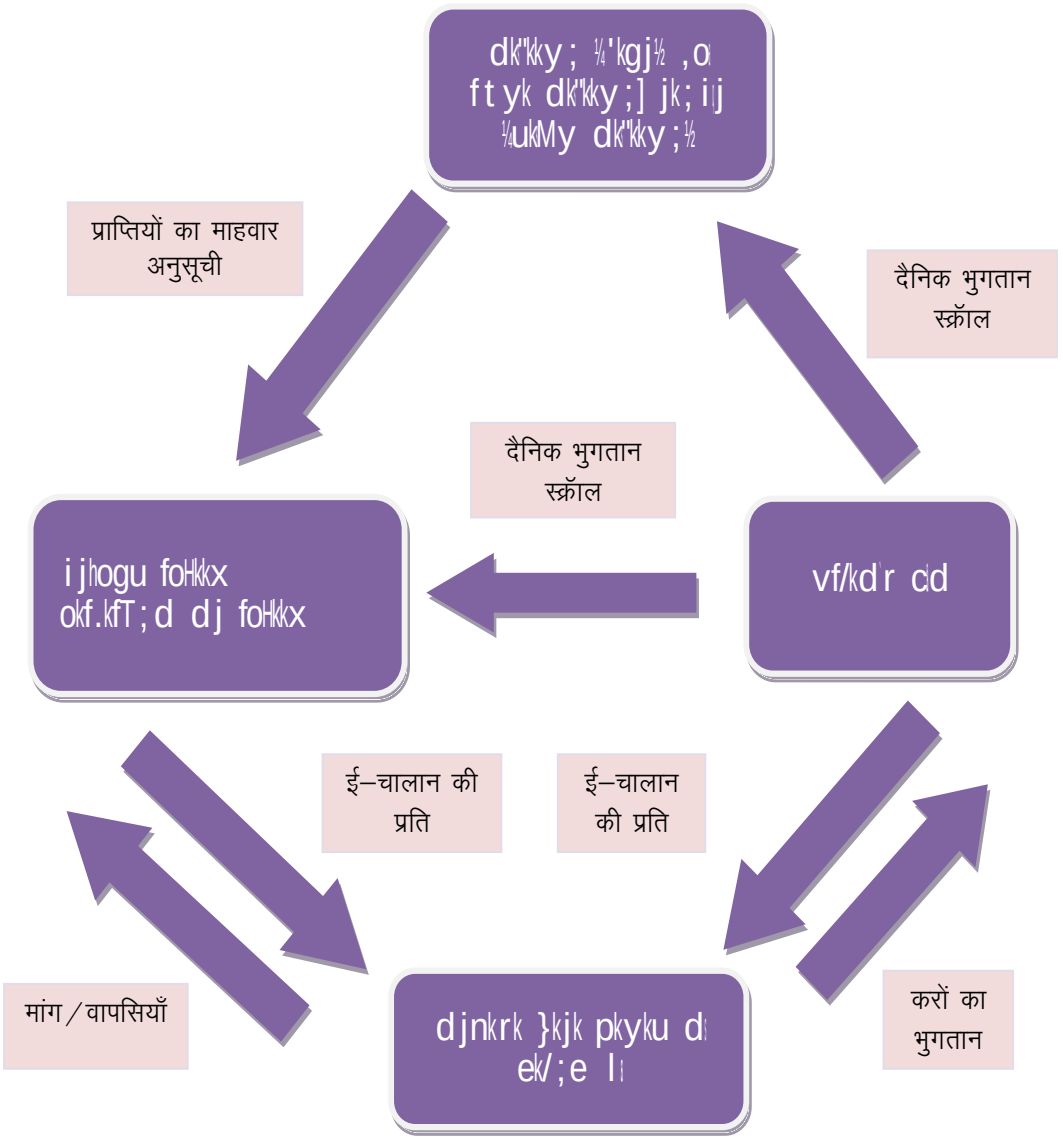

यह सॉफ्टवेयर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) रायपुर द्वारा विकसित किया गया है। ई–चालान वेब आधारित पोर्टल है जिसमें बेक एण्ड सॉफ्टवेयर ओरेकल इस्तेमाल किया गया जबकि फ्रंट एण्ड में जावा का प्रयोग किया गया है।

8-7 vfHkLohd`fr

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग लेखापरीक्षा हेतु आपेक्षित जानकारी और रिकार्ड उपलब्ध कराने के लिये संचालक कोष, वाणिज्यिक कर और परिवहन विभाग से आवश्यक जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराने के सहयोग को अभिस्वीकृत करता है। लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र और पद्धति पर सचिव के साथ चर्चा की गयी, प्रारंभिक बैठक परिवहन विभाग से जून 2015 में की गई। शासन और विभाग को मसौदा प्रतिवेदन सितम्बर 2015 को

प्रेषित किया गया। बहिर्गमन सम्मेलन अक्टुबर 2015 में सपंन्न हुआ, जिसमें लेखापरीक्षा प्रेक्षण, निष्कर्ष एवं अनुशंसाए पर चर्चा की गयी, जिसका प्रतिनिधित्व शासन के सचिव वित्त, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग द्वारा किया गया। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान विभिन्न बिन्दुओं पर प्राप्त उत्तरों को संबंधित कंडिका में यथोचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

ys[kkijh{kk i{k.k

lapkyd dks"k

8-8 bZ&pkyku ds fØ;kUo;u esa i;Zos{kh fu;a=.k dk vHkko

foHkkx us u rks lekukarj tkap dk vk;kstu fd;k vkSj u gh bZ&pkyku ds fØ;kUo;u dh izfØ;k dk ewY;kadu fd;k

ई–चालान के क्रियान्वयन के लिये संचालनालय कोष के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया (मई 2015) कि क्रियान्वयन के दौरान परियोजना प्रबंधन के लिये निगरानी समिति का गठन नहीं किया गया था। यह भी देखा गया कि कार्य क्षमता का मूल्यांकन करने के लिये समानांतर जाँच का आयोजन नहीं किया गया था जिससे इसकी कमियों को दूर किया जा सके। प्रबंधन द्वारा निगरानी की कमी के कारण त्वरीत भुगतान के उद्देशयों की पूर्ती नहीं हो सकी।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि ई–चालान प्रणाली की समुचित कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु तथा समय–समय पर मूल्यांकन करने हेतु एक समिति का गठन किया जावेगा।

8-9 nLrkost hdj.k dk vHkko

foHkkx us flLVe fMtkbu MkD;qesaV ¼,l Mh Mh½ rS;kj ugha fd;k] flLVe fjDok;jesaV Lisf'kfQds'ku ¼,l vkj ,l½ vkSj ;wtj fjDok;jesaV Lisf'kfQds'ku ¼;w vkj ,l½ Hkh iw.kZ ugha FksA

ई–चालान के क्रियान्वयन के लिये संचालनालय कोष के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा (मई 2015) कि ई–चालान सॉफ्टवेयर को लागू करने से पहले एस डी डी तैयार नहीं था। पुनः स्टैंडर्ड प्रेक्टीस के अनुसार एस आर एस एवं यू आर एस का दस्तावेजीकरण आवश्यक है। किंतु हमने देखा कि, यद्यपि सिस्टम 2006 से प्रारंभ कर दिया गया था किंतु एस आर एस एवं यू आर एस अपूर्ण थे क्योंकि उसमें विभागीय क्रियाकलापों, वर्कफ्लो एवं तकनीकी विशेषतायें जो आवश्यक था समाहीत नहीं थी।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि एस डी डी तैयार नहीं किया गया जिसे सुधार किया जायेगा।

'kklu bl ij fopkj djs fd dkbZ ubZ vkbZ-Vh- lsok 'kq: djus ls igys ,l Mh Mh],l vkj ,l vkSj ;w vkj ,l dk mfpr nLrkost hdj.k djsA

8-10 buiqV vkj ofyM'ku pd yxku e foQyrk

foHkkx u vikIfxd MkVk d lekos'k dk jkdu d fy; vko';d buiqV vkj ofyM'ku pd ugh yxk; FkA

ई–चालान के डाटाबेस की जांच के दौरान हमने पाया कि 70 रिकार्ड शून्य राशि के थे और एक से नौ रूपये तक अलग–अलग राशि के 3277 रिकार्ड थे। इनमें से, 719 रिकार्ड वाणिज्यिक कर विभाग से और 2316 रिकार्ड परिवहन विभाग से संबंधित थे। ई–चालान डेटा की पुनः जांच में हमने (rkfydk 8-1½ पाया कि एक करदाता ने परिवहन विभाग में एक रूपये और चार रूपये के ई–चालान जमा किये, हालांकि विभाग में कर की ऐसी कोई दर नहीं थी।

rkfydk 8-1

djnkrk	ifo"Vh fnukd	pkyku fnukd	Vhu& lhu	e[; 'kh"k@y?k शीर्ष / उपशीर्ष	dk"kky; jQjl Ø-	,lh&,l,y Ø-	jkf'k ¼₹½
गणेश प्रसाद खेतान	25–04–12	25–04–12	WBAFH62090L870344	0041 / 102 / 871	66080412055655	IK16525367	1
	25–04–12	25–04–12	WBAFH62090L870344	0041 / 102 / 871	66080412055663	IK16525549	4

इस मामले को संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के संज्ञान में लाया गया। हमारे निरीक्षण के अनुपालन में, क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी द्वारा सत्यापन कर यह पाया कि उक्त चालान में हेरफेर कर जीवन काल कर की राशि ₹ 4.56 लाख के भुगतान में उपयोग किया गया था। चालान के इसी तरह के उपयोग तीन और मामलों में भी पाये गये। क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी द्वारा सभी चार मामलों में वाहन स्वामियों के खिलाफ प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ. आई.आर) दर्ज की गई। गलत डाटा की प्रविष्टि के जोखिम को कम करने के लिये यह जरूरी था कि इनपुट कंट्रोल जैसे वैधता जांच, डुप्लिकेट जांच और एप्लिकेशन कंट्रोल को लागू नहीं किया गया। इस प्रकार, ई–चालान के माध्यम से इस तरह के अस्वीकार्य राशि स्वीकृत करने से इसका उपयोग धोखाधड़ी हेतु किया जा सकता है।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि साफ्टवेयर में आवश्यक चैक्स लगाये जायेंगे।

'kklu bl ij fopkj dj fd MkVk d i;kIrk dh tkp gk vkj iko/kku d vuqlkj MkVk ,Vh d le; gh buiqV dVky d ek/;e l MkVk dh iw.krk vkj lR;rk dh tkp dh tk;A

8-11 bZ&pkyku l Hkxrku dh jkf'k vkj dk"kky;hu jkf'k e vUrj

bZ&pkyku l Hkxrku dh xbZ jkf'k vkj dk"kky;hu jkf'k e vrj FkkA

परिवहन कार्यालयों (क्षे.प.अ. रायपुर, अति.क्षे.प.अ. दुर्ग एवं राजनांदगांव) और वाणिज्यिक कर विभाग के डेटाबेस की जांच से पता चला कि 174 (103+71) प्रकरणों में कोषालय में जमा की गयी राशि में ई–चालान के माध्यम से एकत्र की गयी राशि से अधिक था। आगे जांच में यह भी पाया गया कि 142 (47+95) प्रकरणों में, ई–चालान द्वारा जमा की गयी राशि कोषालय के माध्यम से एकत्र की गयी राशि से कम थी।

rkfydk 8-2

(₹ yk[k e)

foHkkx dk uke	idj.kk dh l[;k	dk"kky; dh jkf'k	b&pkyku dh jkf'k	vUrj dh jkf'k
परिवहन विभाग	103	5.33	0.88	4.45
	47	0.53	2.25	(–) 1.72
वाणिज्यिक विभाग	71	49.06	6.79	42.27
	95	2.29	54.95	(–) 52.66

इस प्रकार एक ही चालान के लिये बैंक और कोषालय डेटा के बीच अंतर से डेटा की पूर्णता और परिशुद्धता में कमियों को दर्शाता है।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि अन्तर विभागीय समिति, जिसके एनआईसी को सम्मिलित कर गठित किया जायेगा और उपरोक्त प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

'kklu ikFkfedrk d vk/kkj ij lcf/kr lk¶Vo;j d fMtkbu dh deh;k dk nj djA

8-12 dk"kky; e b&pkyku dh jkf'k dh ikflr e foyc

18]106 idj.kk e ₹ 308-69 djkM dh jkf'k dk y[kkdu] dk"kky; }kjk cd e b&pkyku d ek/;e l jkf'k ikIr gku dh frfFk l 10 fnuk l ikp ekg d foyc l fd;k x;kA

हमने देखा कि 18,106 प्रकरणों में राशि ₹ 308.69 करोड़ का लेखांकन कोषालय द्वारा बैंक में ई–चालान के माध्यम से राशि की प्राप्ति की तिथि के 10 दिनों से पांच माह के विलंब से किया गया।

इसका पुनर्मिलान न कोषालय एवं विभाग के मध्य से न ही कोषालय और बैंक के मध्य से किया गया, जो इंगित करता है कि विभाग में निरिक्षण प्रणाली नहीं है।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि बैकों से एम.आई.एस की प्राप्ति में विलंब के कारण यह विसंगति हुई। आगे यह भी कहा गया कि भविष्य में एम.आई.एस की प्राप्ति में विलंब के मामलों में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी और बैंकों पर शास्ती आरोपित की जावेगी।

8-13 dk"kky; e vf/kd MkVk vfLrRo e gkuk

dk"kky; e 'kkfey MkVk dk b&pkyku MkVk e ugh ik;k tkuk

सभी ऑनलाईन भुगतान और उसके समर्थन में ई–चालान से प्राप्त डाटा को कोषालय डाटा में ईंपोर्ट किया जाता है। तथापि, ई–चालान डाटा के साथ कोषालय डाटा का सत्यापन करने पर पता चला कि निम्नलिखित तीन चालान (rkfydk 8-3½ का डाटा ई–चालान के डाटा में उपलब्ध नहीं था जो अपर्याप्त प्रोसेसिंग कंट्रोल की ओर इंगित करता है।

rkfydk 8-3

ek[; 'kh"kZ	cSad dksM	pkyku fnukad	pkyku fnukad	dqy jkf'k ¼₹ esa½	dks"kky; fjQjsal Ø-
0041	0009999	06.04.2013	18—04—2013	1,500	660804130103
0040	0009999	31.10.2014	17—11—2014	20,000	660510140138
0042	0009999	01.10.2011	01—11—2011	1,173	660510110060

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि इस मामलें की जांच की जायेगी और इस प्रकार की विसंगतियों की पुनरावृत्ती न हो इस बाबत आवश्यक कार्यवाही पुर्नमिलान सहित की जावेगी।

8-14 dks"kky; esa MqfIydsV fjQjsal uEcj dk mYya?ku

vyx&vyx bZ&pkyku ds fy;s dks"kky; ls ,d gh fjQjsal uEcj lftr gqvkA

ई—चालान के माध्यम से प्राप्त राशि के लिये, प्रणाली से एकमात्र रिफरेंस कोड़ प्राप्त होता है। इस प्रकार, जब भी ई—चालान का सृजन होता है तो कोई डुप्लिकेट कोषालय रिफरेंस कोड़ प्राप्त नहीं होना चाहिये। इस प्रकार कोषालय रिफरेंस कोड डिजाइन डेटाबेस में प्राथमिक कुंजी के रूप में कार्य करना चाहिये । हम ने पाया कि एक ही कोषालय रिफरेंस कोड से अलग—अलग ई—चालानों का सृजन हुआ जिसे निचे वर्णित किया गया हैः

rkfydk 8-4

ek[; 'kh"kZ	cSad dksM	pkyku fnukad	pkyku fnukad	dqy jkf'k ¼₹ esa½	dks"kky; fjQjsal Ø-
0042	0009999	18—02—2012	29—02—2012	1,000	660502120048
0042	0009999	18—02—2012	29—02—2012	29,828	660502120048
0042	0009999	18—02—2012	29—02—2012	3,000	660502120047
0042	0009999	18—02—2012	29—02—2012	1,30,214	660502120047

पुनः कार्यालय वा.क.अ., वृत्त 7, रायपुर में कोषालयीन डाटा समीक्षा में पाया गया कि एक ही व्यावसायी (छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेज कार्पोशन लिमिटेड टिन क्र.— 2265170415) द्वारा तीन राशि (₹ 95 लाख, ₹ 95 लाख और ₹ 93.21 लाख) का भुगतान सितम्बर 2013 में किया जिसे एक ही कोषालय रिफरेंस क्रमांक 66050913006898 प्राप्त हुआ।

अलग—अलग ई—चालान में एक ही कोषालय रिफरेंस क्रमांक का सृजन हुआ इससे यह पता चलता है कि क्रियान्वयन एजेंसी सॉफ्टवेयर में विशिष्ट चैक लगाने में असफल रही जिससे कोषालय रिफरेंस कोड़ की एकमात्रता कायम रहे।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के पश्चात् आवश्यक संशोधन किया गया है।

8-15 vlijf{kr MkVk foHkkx dk inku fd;k

cid }kjk vlijf{kr MkVk foHkkx dk inku fd;k x;k

ई–चालान के डाटा की जांच में पता चला कि विभागों को बैंक से प्राप्त डाटा परिवर्तनीय टेक्सट फार्मेट में होने से इसमे हेराफेरी किया जा सकता है। बैंक द्वारा भेजा गया डाटा ई–चालान की मूलभूत जानकारी होती है जिससे विभाग अपने प्राप्तियों को सत्यापित करता है। चूँकि यह मूलभूत डाटा के रूप में सीधा अपलोड नहीं किया जाता है, जिससे इन डाटा में बदलाव किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिये उपयोगकर्ता को डाटा केवल 'दृश्य विकल्प' की अनुमति दिया जाये।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि बैंको को लॉगिन आईडी प्रदान किया जायेगा जिससे डाटा सीधे अपलोड किया जा सकेगा।

ifjogu foHkkx

परिवहन विभाग में ई–चालान के माध्यम से कर लेने की शुरूआत वर्ष 2009–10 से हुई थी। विभाग वाहन सॉफ्टवेयर में कर का विवरण संधारित करता है। तथापि, ई–चालान सॉफ्टवेयर को वाहन सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत करने के लिये विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी। ई–चालान के माध्यम से करदाता द्वारा ऑनलाईन कर जमा किया जाता है। बैंक द्वारा ई–चालान डाटा की एक प्रतिलिपि (टेक्स्ट फार्मेट में) कोषालय को और संबंधित विभाग को प्रेषित की जाती हैं ताकि उक्त राशि का कोषालय और विभाग द्वारा पुनर्मिलान किया जा सके। करदाता (ऑनलाईन) ई–चालान का प्रिंट प्राप्त करता है। चुंकि वाहन सॉफ्टवेयर और ई–चालान सॉफ्टवेयर के बीच में कोई एकीकरण नहीं किया गया, करदाता प्राप्त ई–चालान के प्रिंट को परिवहन विभाग में प्रस्तुत करता है, जिसे वाहन सॉफ्टवेयर में अद्यतन कर लिया जाता है। परिवहन विभाग, बैंक द्वारा भेजे गये डाटा के साथ ई–चालान की करदाता द्वारा बैंक से प्रदाय प्रिंटऑउट की प्रमाणिकता की पुष्टि करने के बाद, करदाता को वाहन सॉफ्टवेयर से रसीद प्रदान करता है। विभाग के संबंधित अनुभाग के लिये यह रसीद करदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिसमें उक्त विवरणों को वाहन सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाता है। इसके अलावा, विभाग ने नई ऑनलाईन पंजीकरण प्रणाली अर्थात डीलर प्वाईंट रजिस्ट्रेशन (जनवरी 2012) से प्रारंम्भ किया गया जहाँ वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर ऑनलाईन कर भुगतान के पश्चात् प्राप्त हो जाता है।

8-16 bl&pkyku ifØ;k e fuxjkuh dh deh

foHkkx dVjfpr bl&pkyku dh ifo"Vh okgu lk¶Vos;j e jkdu gsr fuxjkuh i.kkyh fodflr dju e vlQy jgkA

आयुक्त (परिवहन) कार्यालय में ई–चालान से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान हम ने पाया कि विभाग में ई–चालान के क्रियान्वयन से पहले सॉफ्टवेयर के कार्य पर उचित निगरानी प्रणाली स्थापित नहीं था। ई–चालान के माध्यम से किये गये वाहन कर के भुगतान वाहन साफ्टवेयर में किया जाता है। यदि ई–चालान में दिये गये विवरण सहीं न

हो या इसका दुरूपयोग किया गया हो तो समान त्रुटि वाहन सॉफ्टवेयर में इसकी प्रविष्टी के बाद जारी रहेगी। निगरानी प्रणाली के विकसित करने में विफलता के कारण वाहन सॉफ्टवेयर में कर विवरण में हेराफेरी हुई।

लेखा परीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि जैसे ही ई–चालान की कमियां प्रकट हुई उस पर उर्पयुक्त कार्यवाही की गयी और प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी। संदिग्ध भुगतान और प्रविष्टियों का सत्यापन किया जायेगा और उन पर उर्पयुक्त कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा, शासन ने कहा कि ई–चालान से किये जा रहे भुगतान पर रोक लगाने का फैसला परिवहन विभाग द्वारा किया गया और अगस्त 2015 के बाद से एक पूर्ण रूप एकीकृत ऑनलाईन भुगतान प्रकिया अंगीकृत की गई।

8-17 fØ;kdyki d fu;ek dk lekfgr dju e foQyrk

foHkkx }kjk Mhyj ikbV jftLV'ku lk¶Vo;j e Pokbl uEcj dh c<h gbZ nj dk v|ru ugh fd;k ifj.kkeLo:i i jkus nj l gh Qhl dh olyh tkjh jghA

छत्तीसगढ़ मोटर वाहन नियम 1994 के नियम 55 के अनुसार वाहनों को च्वाईस रजिस्ट्रशन नम्बर निश्चित् फीस के भुगतान के बाद आवंटित किया जायेंगा। छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग द्वारा फरवरी 2014 में अधिसूचना से च्वाईस नम्बर के आबंटन की दरों में बढ़ोत्तरी की।

छः परिवहन कार्यालयों[3] की नमूना जांच में पाया गया कि 3449 वाहनों को च्वाईच नम्बर पंजीयन की फीस में बढ़ोतरी करने के बाद (फरवरी 2014) आवंटित किया गया। किन्तु डीलर पांइट रजिस्ट्रेशन साफ्टवेयर में इसको अद्यतन नहीं किये जाने के कारण च्वाईस नम्बर पुराने दर से ही जारी किये गये । इन 3449 वाहनों पर वसुलनिय फीस ₹ 3.62 करोड़ के ऐवज में मात्र ₹ 1.13 करोड़ की वसूली की गई, इस प्रकार ₹ 2.49 करोड़ की कम प्राप्ति हुई।

पुनः संपूर्ण राज्य के डाटाबेस की नमूना जांच में पाया गया कि छत्तीसगढ़ स्थित विभिन्न परिवहन कार्यालयों द्वारा 4,569 वाहनों को च्वाईस नम्बर प्रदाय किये गये जिसके लिये करदाताओं से फीस ₹ 5.10 करोड़ वसूलनीय थी। किन्तु विभाग ने पुराने दर से ही ₹ 1.54 करोड़ की वसूली की।

इस प्रकार विभाग द्वारा फरवरी 2014 में जारी अधिसूचना के अनुसार बढ़े हुये दरों को डीलर पांइट रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर के अद्यतन/समाहित नहीं किये जाने राशि ₹ 3.56 करोड़ की कम प्राप्ति हुई।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि सॉफ्टवेयर को अद्यतन नहीं किये जाने के कारणों की जांच की जा रही है और इस संबंध में उर्पयुक्त कार्यवाही की जावेगी।

[3] क्षे.प.अ. बिलासपुर, रायपुर एवं जगदलपुर, अति.क्षे.प.अ. दुर्ग और राजनांदगांव, जि.प.अ. जशपुर।

8-18 Mhyj lokbV d ek/;e l iijku okguk dk ithdj.k

Mhyj lokbV jftLVs'ku d fØ;kUo;u d igy [kjhn x; okguk dk foHkkx }kjk Mhyj lokbV jftLVs'ku ekM;wy l ithdr fd;kA

परिवहन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में बेचे गये नये वाहनों का पंजीयन करने हेतु, डीलरों को सुविधा प्रदान करने डीलर प्वाईंट रजिस्टेशन जनवरी 2012 में प्रारम्भ किया गया। अनुबंध की शर्तों के अनुसार डीलर क्रेता को नये वाहन प्रदान करेगा जो चोरी/पुनः विक्रय के न हो और यांत्रिक रूप से दोषपूर्ण न हो तथा मोटर वाहन अधिनियम के तहत समय समय पर शासन द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के अनुरूप होना सूनिश्चित हो। तीन परिवहन कार्यालय (क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रायपुर, जगदलपुर, जिला परिवहन अधिकारी, जशपुर) के डीलर पॉइट रजिस्ट्रेशन के डाटाबेस की जॉच में लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि माह जनवरी 2012 के पूर्व क्रय किये गये 33 वाहनों को डीलर पॉइट रजिस्ट्रेशन द्वारा पंजीकृत किया गया। पुराने पंजीयन क्रमांक वाले इन वाहनों का पंजीयन डीलर पॉइट रजिस्ट्रेशन से किया जाना विधिनुकुल नहीं है।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि, पुराने वाहनों के पंजीयन के कारणों की जांच की जा रही है एवं इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

8-19 ykfxdy ,Dlsl dUVªksy

foHkkx }kjk ;wtj vkbZ Mh ds vukf/kd`r mi;ksx jksdus grq dksbZ iklOkMZ ikfylh rS;kj ugha dh x;h FkhA ;wtj vkbZ Mh dk vkcaVu e vfu;ferrk gksu l foHkkx e dk;Zjr fo|eku deZpkfj;ksa l vf/kd ;wtj vkbZ Mh lØh; jgsA

हमने पाया कि विभाग द्वारा यूजर ऑय डी के अनाधिकृत उपयोग रोकने हेतु कोई पासवर्ड पालिसी तैयार नहीं की गयी थी। डाटाबेस की जॉच में पाया गया की:

- परिवहन कार्यालयों[4] द्वारा आबंटित 442 यूजर ऑय डी में से 215 ऑय डी बंद की गयी। शेष 227 ऑय डी सक्रीय थी लेकिन कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की संख्या मात्र 111 थी। कर्मचारियों का तबादला होने के बाद भी युजर ऑय डी सक्रीय रहने से इसका दुरूपयोग हो सकता है।

- यह भी देखा गया कि एक ही यूजर ऑय डी का उपयोग एक से ज्यादा कर्मचारियों द्वारा किया गया था जिससे किसी हेराफेरी होने की स्थिति में किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था।

- सिस्टम यह दर्शाने में असफल रहा कि 3,02,193 वाहनों के कर विवरण जो ₹ 178.36 करोड़ है उसे किस यूजर ऑय डी द्वारा संधारित किया गया। ऑडिट ट्रेल हेतु प्रणाली में ये व्यवस्था/जानकारी होनी चाहिए जिससे जाने–अनजाने में किये गए त्रुटियों के स्त्रोत का पता चल सके।

---

[4] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर, अतिरिक्त क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी, दुर्ग एवं राजनंदगांव, जिला परिवहन अधिकारी जशपुर।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि, जो कर्मचारी अनुपस्थित है अथवा उपलब्ध नहीं है उनके यूजर ऑय डी निष्क्रीय करने के लिए एन आई सी को निर्देश जारी कर दिए गए है ताकि उनका दुरूपयोग न किया जा सके।

'kklu fopkj djs fd] lkW¶Vos;j esa cnyko fd;k tkrk gks rks mldh ns[kjs[k gsrq vkarfjd iz.kkyh fodflr djsa ftlls vkWfMV Vsªy }kjk dk;Z lEiknu dk irk fd;k tk ldsA

8-20 dÙkZO;ksa dk i`F;dj.k

foHkkx }kjk deZpkfj;ksa ds dÙkZO;ksa dk cVokjk lgh ls ugha fd;s tkus ls ,d gh O;fDr }kjk fofHkUu Lrj ds drZO;ksa dk fu"iknu fd;k x;kA

परिवहन कार्यालय के ई–चालान के दस्तावेजों की जॉच में हमने पाया कि, जो कर्मचारी चालान के विवरण को इन्द्राज करते है उसे कोषालय से मिलान करने की जवाबदारी भी उसी कर्मचारी की रही है। चूंकि ट्रेजरी डाटा टेक्स्ट फाइल में प्राप्त होता है जिसे सम्पादित किया जा सकता है, एक ही कर्मचारी द्वारा चालान का इन्द्राज एवं कोषालय से सत्यापन किये जाने से डाटा में फेरबदल करने की संभावना हो सकती हैं। डाटा की विश्वसनीयता बनाये रखने हेतु तथा विभिन्न स्तरों पर जॉच के लिए जरूरी है की सभी कर्मचारियों के कर्तव्य निर्धारित हो और वह अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक हो। पुनः यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि, विभिन्न स्तरों का काम एक ही व्यक्ती द्वारा निष्पादित नहीं किया जा रहा हो।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि, इस बाबत् सुधारात्मक कदम उठाये जायेगे।

8-21 Mhyj ikbaV jftLVsª'ku ls 'kkldh; /ku dk cSad esa foyEc ls izs"k.k

Mhyjksa }kjk 'kkldh; /ku dks 1]488 fnuksa rd dh foyEc ls cSad esa izsf"kr fd;k x;kA

परिवहन कार्यालयों[5] में स्मार्ट चिप लिमिटेड से प्राप्त डीलर पांइट रजिस्ट्रेशन के डाटाबेस की जॉच में पाया गया की डालरों द्वारा 1,01,923 वाहनों का पंजीयन जनवरी 2012 एवं मार्च 2015 के मध्य किया गया। आगे जॉच में पाया गया की कर राशि ₹ 103.82 करोड़ जो क्रेताओं से संग्रहित किये गये थे, डीलरों द्वारा शासकीय खाते में दो से 1,488 दिनों की विलंब से जमा किया गया। किन्तु, डीलर एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीयों/जिला परिवहन अधिकारीयों के साथ किये गए अनुबंध अनुसार डीलर/फर्म द्वारा कोई भी वाहन छत्तीसगढ़ के निवासी को विक्रय करते समय ये सुनिश्चित करेगा कि विक्रय किये जा रहे वाहन का पंजीयन क्रमांक प्राप्त किया जा चुका है एवं कर एवं समय समय पर लागू कोई अन्य शुल्क क्रेता द्वारा जमा कर दी गयी है और प्राप्त की गई रकम ऑनलाइन से उसी दिन संबंधित मुख्य शीर्ष में फर्म/डीलर द्वारा जमा करा दी गई है।

[5] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर, रायपुर एवं जगदलपुर, अतिरिक्त क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी, दुर्ग एवं राजनंदगांव, जिला परिवहन अधिकारी जशपुर

अनुबंध के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर भी सबंधित परिवहन अधिकारियों द्वारा इन दोषी डीलरों पर कोई कार्यवाही नहीं की और उनके वाहनों को पंजीकृत किया। इस प्रकार छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विलंब पर आरोपित शास्ति ₹ 1.90 करोड़ वसूलने में शासन असफल रहा। किन्तु अनुबंध में देरी के लिए शास्ति के प्रावधान नहीं होने से शासन ₹ 1.90 करोड़ से वांछित रहा साथ में डीलरों को ₹ 103.82 करोड़ पर ब्याज का अदेय लाभ भी पहुँचाया गया।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि, डीलरों द्वारा शासकीय धन को देरी से जमा करने के कारणों की जाँच कर उचित कार्यवाही की जावेगी।

okf.kfT;d dj foHkkx

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा 2008–09 से ई–चालान से राशि प्राप्त करना प्रारंभ किया। करदाता/डीलरों द्वारा अपने यूजर आई डी से स्व कर निर्धारण ऑनलाइन किया जा सकता है। यदि डीलर द्वारा अधिक कर का भुगतान किया गया हो तो उसकी वापसी करदाता द्वारा वार्षिक स्व कर निर्धारण देने के पश्चात् किया जाता है। स्व कर निर्धारण हेतु विवरणी वाणिज्यिक कर विभाग के पोर्टल CGCOMTAX से भरा जाता है। विवरणों में अन्य जानकारियों के अतिरिक्त डीलर द्वारा वित्तीय वर्ष में किये गए क्रय–विक्रय एवं उन चालानों का विवरण भी सम्मिलित है जिन से कर का भुगतान किया गया है। विवरणी में सभी विवरण डीलर द्वारा स्वयं भरा जाता है।

ई–चालान द्वारा कर का भुगतान किये जाने पर, प्रत्येक चालान के लिए चौदह अक्षरी एकमात्र क्रमांक (चालान नम्बर) उत्पन्न होता है। इस क्रमांक को CGCOMTAX के द्वारा विवरणी भरते समय “challan no” कॉलम में दर्ज किया जाना होता है।

8-22 foHkkx d eM;y (CGCOMTAX) l b&pkyku MkVk dk ,dhdr ugh fd;k tkuk

foHkkx fØ;kdykiks d fu;eks dk ykxw djus es vlQy jgk D;kfd foHkkx d eM;y (CGCOMTAX) l b&pkyku MkVk dk ,dhdr ugh fd;k tkuk

कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर के COMTAX सॉफ्टवेयर की जाँच में हमने पाया की ऐसी कोई प्रणाली विकसित नहीं की गयी जिससे यह सुनिश्चित हो कि डीलरों द्वारा विवरणी में वही राशि दर्शायी गई हो जो ई–चालान द्वारा जमा की गयी हो। आगे डीलर को दी जा रही वापसी को हस्त अभिलिखित किया जा रहा है। डीलरों द्वारा कर निर्धारण स्वतः किया जाता है एवं वापसी की राशि भी उनके द्वारा भरे गए निर्धारण के आधार पर किये जाने से डीलरो द्वारा जमा की गई राशियों का गलत विवरण भरे जाने की सम्भावना अधिक है।

हमने देखा कि एक व्यवसायी (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सैल), टिन क्र 22943200659) द्वारा ₹ 25 लाख ई–चालान द्वारा जमा किया गया जिसका ट्रेजरी रिफरेन्स नंबर 660510101360 है। जॉच में पाया गया कि समान ट्रेजरी रिफरेन्स नम्बर दूसरे व्यवसायी (मेसर्स मूलचंद गोलछा, टिन क्रमांक 22643100623) द्वारा जमा किये गए ₹ सात के चालान के लिए भी प्राप्त हुआ। इसप्रकार क्रियाकलापों के नियमों को लागू करने में असफल होने से डीलरों द्वारा अपनी विवरणी में चालान के विवरण में हेर फेर की जा सकती है।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि, विभागीय माड्यूल को कोषालयीन सॉफ्टवेयर से एकीकृत करने के लिए उचित कदम उठाए जायेगे। समान ट्रेजरी रिफरेन्स नम्बर उत्पन्न होने के संबंध में कहा गया की कोषालय से आवश्यक जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

'kklu fopkj djs fd] lk¶Vos;j dk vfre fcng rd foHkkxh; lk¶Vos;j ls ,dhdr fd;k tkos rkfd ekuoh; gLr{ksi foykfir fd;k tk ldsA

8-23 ,d ls vf/kd pkyku MkVk vfLrRo esa gksuk

MkVk dh o/krk cuk, j[kus grq foHkkx }kjk lgh tkap i)fr ykxw ugha djus ls ekLVj Vscy esa ,d ls vf/kd pkyku MkVk vfLrRo esa FkkA

आयुक्त, वाणिज्यिक कर कार्यालय के ई–चालन डाटाबेस में हमने पाया कि 3,07,772 प्रकरणों को दो से 38 बार दोहराया गया है। एक ही अभिलेख का मास्टर टेबल में 38 बार तक मौजूद रहने से एक ही चालान को डीलर द्वारा कई बार उपयोग किया जा सकता है। डाटा की प्रमाणिकता को बरकरार रखने एवं सही जाँच के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि प्रविष्टी की जा रही जानकारी भरोसेमंद हो। डाटा के विश्वसनीयता के लिए यह जरूरी है की डाटा को सही रूप से दर्शाया जा रहा है। अतः एक ही डाटा की पुनरावृत्ती मास्टर टेबल में कई बार नहीं होना चाहिए।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि, अंतिम कर निर्धारण के लिए नया मास्टर टेबल तैयार किया जा रहा है एवं बाकी चालान डाटा को अस्थायी टेबल में रखा जायेगा।

8-24 vkbZ Vh i.kkyh ykxw djus ds fy, lgh i)fr dk ugha viuk;k x;k

Mhyjksa }kjk tek fd;s tk jgs foojf.k;ksa dh foojf.kksa dh lEiw.krk] lVhdrk ,oa o/krk dk lqfuf'pr djus grq dksbZ tkap ykxw esa foHkkx vlQy jgk tks lwpuk ikS|ksfxdh esa iz;qDr mfpr i)fr ds foijhr gSA

आयुक्त, वाणिज्यिक कर कार्यालय में डीलरों द्वारा वर्ष 2010–15 में भरे गए विवरणी के डाटा में हमने देखा की 8,755 प्रकरणों में डीलरों ने अपने विवरणी में चालान क्रमांक के कॉलम में चालान का यूनीक नम्बर दर्ज नहीं किया था।

जैसे एक डीलर (वैइकान ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, टिन क्रमांक 22741100719) ने वर्ष 2010–11 से 2013–14 तक की त्रैमासिक विवरणी जमा की। विवरणी की पुनः जांच में हमने पाया कि चालान क्रमांक को भरते समय डीलर द्वारा समानता नहीं रखी गई है। यूनीक नम्बर भरने के स्थान पर डीलर "No Id", "0", "00", "000", "0000", "45", "Trans" आदि विवरण को भरा गया है। पुनः ऐसे विवरणों को कई बार दोहराया गया है। आगे राशि ₹ 1,367 करोड़ के 24,174 ई–चालान के प्रकरणों में कर निर्धारण वर्ष को 0 (शून्य) दर्शाया गया है। चूंकि वर्ष ही कर निर्धारण का मुख्य आधार होता है, प्रचलित उचित पद्धती के आधार पर विशिष्ट जांच पद्धती रखी जानी आवश्यक थी।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि विभाग ने डीलरों द्वारा जमा किये जा रहे विवरणी के विवरणों की संपूर्णता, सटीकता एवं वैधता को सुनिश्चित करने हेतु कोई जॉच नहीं लगाई है।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि, प्रकरण का परीक्षण किया जावेगा एवं CGCOMTAX में सभी फिल्ड पर आवश्यक जांच लगाई जावेगी।

8-25 vfre frfFk d ckn Hkh b&fjVu dk Lohdkj fd;k tkuk

oV vf/kfu;e /kkjk 21¼3½ d vrxr iufu/kkj.k gr idj.kk dk p;u gkus d ckn Hkh tek fd; x; idj.kk dk fpfUgr dju gr lk¶Vo;j e tkp@¶yx yxku e foHkkx vleFk jgkA

धारा 21(3) के अनुसार यदि किसी डीलर का कर निर्धारण धारा 21(2) के अंतर्गत होता है यानि स्व कर निर्धारण द्वारा तो आयुक्त पुनः कर निर्धारण के लिए ऐसे डीलर जिनके वर्ष का निर्धारण उप धारा (1) के अंतर्गत उप धारा (2) अनुसार हुआ हो, को चुन सकता है जैसा वह उचित समझे एवं ये चुनाव उस वर्ष के एक कैलेंडर वर्ष के अन्दर किया जाता है।

हमने पाया कि वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 में क्रमशः 5049, 9457 एवं 2139 डीलरों ने फॉर्म–18 (स्व कर निर्धारण हेतु) आयुक्त द्वारा धारा 21(3) के अनुसार उस वर्ष के प्रकरणों का चयन करने के बाद जमा किया गया। यह फॉर्म 18 जमा करने की तिथि को समय–समय पर अधिसूचनाओं द्वारा बढ़ाये जाने से हुआ। अधिनियम के अनुसार धारा 21(3) के अंतर्गत प्रकरणों के चयन के बाद बाकी प्रकरणों को भी स्व कर निर्धारित माना जावेगा। देर से जमा किये गये प्रकरणों को चिन्हित नहीं किये जाने से 16,645 प्रकरण चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने से वंचित रहे।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि, जाँच कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

8-26 Mhyjk d fooj.kh e lngkLin fo'oluh;rk oky pkykuk dk u fy, tku gr dkb jkd ugh yxkb x;hA

foHkkx u ,l pkyku Lohdkj fd; tk b&pkyku ,o Vtjh MkVk e miyC/k ugh gA vkx gj&Qj fd; x, pkykuk dk Hkh Lohdkj fd;k x;kA

आयुक्त, वाणिज्यिक कर कार्यालय में डीलरों द्वारा जमा विवरणी की जाँच में पाया गया कि दो डीलर (स्काई ऑटोमोबाइल्स, टिन क्रमांक 22241500634 एवं वैइकान ऑटोमोबाइल्स, टिन क्रमांक 22241100719) द्वारा ₹ 6.79 करोड़ का भुगतान 51 चालानों द्वारा ई–विवरणी में दर्शाया गया है। वर्णित किये गए चालानों की राशि के मिलान करने पर पाया कि ई–चालान एवं ट्रेजरी डाटा (मुख्य शीर्षः 0040) में ये विवरण उपलब्ध नहीं है।

एक अन्य प्रकरण में, डीलर ने विवरणी में जुलाई 2012 में ₹ 2,49,795 का भुगतान ई–चालान द्वारा दर्शाया है। किंतु इसके प्रतिसत्यापन पर पाया गया की डीलर द्वारा वास्तव में ₹ 24,979 का ही भुगतान किया है।

पुनः कार्यालय वाणिज्यिक कर वृत्त–दो, दुर्ग में हमने देखा कि एक डीलर (मेसर्स वर्धमान मोटर्स, टिन क्रमांक 22193203060) ने माह जुलाई 2012 में ₹ 30 लाख का भुगतान दर्शाया है जो ई–चालान एवं कोषालयीन डाटा में उपलब्ध नहीं है। ई–चालान एवं कोषलयीन डाटा में उपलब्ध नहीं होने से इन चालानों की वैधता संदेहास्पद है।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि, एक प्रकरण में ब्याज सहित ₹ 3.08 लाख की वसूली की गई है। शेष प्रकरणों में चालानों को कोषालय से जाँच करने के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। पुनः डीलरों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।

8-27 lekU pkykuk dk fooj.k iosu'k dj@dUnh; foØ; dj e n'kkdj dj dh viopuk

Mhyjk }kjk vyx vyx dj d Hkxrku grq lkeku pkykuk dk iqu% iz;ksx dk jkdu grq COMTAX lk¶Vos;j e buiqV ,o o/krk tkp ykxw djus e foHkkx foQy jgkA

कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–दो, दुर्ग एवं वृत्त–सात, रायपुर में हमने देखा कि वर्ष 2011–12 में दो डीलरों ने वैट एवं प्रवेश कर की वार्षिक विवरणी जमा की थी। कर के दायित्व के अनुसार डीलरों ने ई–चालानों द्वारा भुगतान के भी विवरण दर्शाये गये थे। विवरणी एवं चालान विवरणों की पुनः जाँच से ज्ञात हुआ कि निम्नानुसार डीलरों ने समान चालान के विवरण वैट एवं प्रवेश कर के भुगतान के लिए प्रयोग किये है, जैसे कि निम्न तालिका में वर्णित हैः

rkfydk 8-5

0;olk;h dk uke	pkyku Øekd	pkyku fnukd	jkf'k ¼₹½
जे. के. नेटवर्क (टिन –22313202218)	750076	21.01.2012	9,107
	750047	21.01.2012	16,167
	062842	20.04.2012	14,677
श्रद्धा (टिन–22401703179)	66051111000534	05.11.2011	11,115

उपरोक्त व्यवसायियों द्वारा प्रवेश कर का ही भुगतान किया गया लेकिन विवरणी भरते समय उन्होनें इन्ही चालानों से वैट का भुगतान भी दर्शाया गया। इस प्रकार एक ही चालान का भुगतान दोनों विवरणी में दर्शाकर धोखाधड़ी से ₹ 51,066 की कर अपवंचना की।

आगे हमने पाया कि नौ डीलरों ने समान चालानों के विवरण दो विभिन्न विवरणियों में जमा किये जैसे वैट एवं प्रवेशकर; वैट एवं केन्द्रीय विक्रय कर *(ifjf'k"V 8-1)*।

इस प्रकार डीलरों द्वारा अलग अलग कर के भुगतान हेतु सामान चालानों का उपयोग रोकने हेतु COMTAX सॉफ्टवेयर में इनपुट एवं वैद्यता की जाँच विभाग द्वारा लागू नहीं किये जाने से दी डीलरों ने चालान में धोकाधड़ी कर, कर अपवंचना की।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि, एक प्रकरण में ₹ 61,363 की वसूली की गई है एवं दूसरे प्रकरण में जाँच पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। शेष नौ प्रकरणों में डीलरों द्वारा गलती से समान चालान अलग–अलग विवरणी में दर्शाये गए है। पुनः इस प्रकार की अनियमितता को रोकने हेतु COMTAX में आवश्यक जांच पद्धती लागू की जावेगी और डीलरों के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

8-28 ,d gh pkyku e dks"kky;hu MkVk ,o b&pkyku MkVk की राशि में fHkUurk

foHkkx ,lh jkf'k;ks dk feyku dju e vleFk jgk tk b&pkyku ,o dk"kky;hu MkVk e fofHkUu :i e nf'kr gk jg FkA

कार्यालय वाणिज्यिक कर वृत्त–दो, दुर्ग के ई–चालान डाटाबेस में हमने देखा कि डीलर (मेसर्स शुभम इंटरप्राइजेज, टिन क्र. 2223200279) द्वारा वर्ष 2011–12 के लिए जमा विवरणी (स्व कर निर्धारण) में ₹ 2.78 लाख का भुगतान चालान दिसम्बर 2011 को किया गया जिसका ट्रेजरी रिफरेन्स क्रमांक 66051211000022 था। किंतु चालान डाटा की जाँच में हमने पाया कि ₹ 100 का ही भुगतान ई–चालान द्वारा हुआ है। किंतु कोषालयीन डाटा ₹ 2.78 लाख का दर्शा रहा है।

इसी प्रकार कार्यालय वाणिज्यिक कर वृत्त–सात, रायपुर में हमने पाया कि एक डीलर (हुम्बोल्डट–WEDAG, टिन क्रमांक 22801702571) ने वर्ष 2010–11 के विवरणी में ₹ 1.69 लाख का भुगतान अक्टूबर 2011 में किया जिसका ट्रेजरी रिफरेन्स क्रमांक 660510101240 है। आगे जॉच में हमने पाया कि ई–चालान द्वारा ₹ 750 का ही भुगतान किया गया है।

अतः ट्रेजरी डाटा एवं चालान डाटा में एक ही चालान की राशि का मिलान नहीं हो रहा था। एक ही चालान के लिए अलग राशि का दर्शित होना यह दर्शाता है कि डाटा के प्रोसेसिंग में कमी है जिसके कारण ₹ 4.46 लाख के कम वसूली से इनकार नहीं किया जा सकता।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि, अंतर के कारणों का परीक्षण किया जावेगा, यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

8-29 dk"kky;hu MkVk e cid }kjk vikIr jkf'k dk fpf=r gkukA

विभाग एक से अधिक बार कोषालयीन डाटा में प्रदर्शित डाटा जो ई–चालान में ugh g dk iufeyku dju e vlQy jgkA

ट्रेजरी डाटाबेस के जाँच में हमने पाया कि प्रत्येक ट्रेजरी रेफरेन्स नम्बर के विरूद्ध एक से अधिक बार (दो से चार बार) व्यवहार प्रदर्शित होने से ₹ 7.07 करोड़ शासकीय प्राप्ति बढ़कर प्रदर्शित हो रही है। लेकिन ई–चालान डाटा का ट्रेजरी डाटा से मिलान किये जाने से हमने पाया कि शासन को 12 व्यवहारों में ₹ 3.21 करोड़ की ही प्राप्ति हुई है जैसा rkfydk 8-6 में वर्णित है।

Rkfydk 8-6

fVu	pkyku fnukd	सकल राशि ¼₹½	foÙkh; o"k	Vt jh fjQjU l uEcj	b&pkyku Øekd	fxurh	jkf'k b&Vt jh MkVk vul kj
0	11.12.2008	25,00,000	2008–09	229432006590		3	75,00,000
0	30.01.2009	25,00,000	2008–09	660501090148		2	50,00,000
0	30.01.2009	25,00,000	2008–09	660501090149		2	50,00,000
0	11.02.2009	25,00,000	2008–09	660502009142		2	50,00,000
0	28.02.2009	27,889	2008–09	660502090158		2	55,778
22155100984	13.12.2012	5,00,000	2012–13	660512120052	0	2	10,00,000
22121900437	11.03.2013	50,000	2012–13	660503130036	0	2	100.000
22414700231	12.09.2013	50,00,000	2013–14	660509130050	0	2	100,00,000
22351901426	16.09.2013	10,00,000	2013–14	660509130063	0	4	40,00,000

22641902285	16.09.2013	10,00,000	2013–14	660509130063	0	4	40,00,000
22414700231	16.09.2013	50,00,000	2013–14	660509130063	0	2	100,00,000
22651704157	19.09.2013	95,00,000	2013–14	66050913006898	6600900000	2	190,00,000
	;ksx	3]20]77]889 vFkok 3-21 djksM+					70655778 vFkok 7-07 djksM+

आगे ई–चालान डाटा के जाँच में पाया गया कि उपरोक्त 12 प्रकरणों में से चार प्रकरणों में राशि ₹ 1.45 करोड़ ही ई–चालान द्वारा प्राप्त हुए जैसा की rkfydk 8-7 में वर्णित है।

rkfydk 8-7

fVu&fcu	VhÁjQ	izfof"V fnukad	jkf'k ¼₹½	djnkrk
22943200659	660501090148	29.01.2009	25,00,000	स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
22943200659	660501090149	29.01.2009	25,00,000	
22232200252	660502090158	26.02.2009	27,889	मंडोली राइस इंडस्ट्रीज
22651704157	66050913006898	19.09.2013	95,00,000	छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेज कोर्प लिमिटेड

अतः वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा ₹ 5.62 करोड़ अधिक लेखांकित किये जाने की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि, कोषालय से जाँच करने के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

lkWÝVos;j dks ifj"d`r djus ds fy, 'kklu dks vko';d dne mBkus pkfg, ftlls ,d Vªstjh fjQjsUl ds fo:) ,d ls vf/kd vfHkys[k mRiUu u gksA iquZ 'kkldh; [kkrs esa 'kkfey djus ls igys dk"kky; }kjk bZ&pkyku ds vkadMks dk feyku mieyC/k MkVkcsl ls dj ysuk pkfg,A

8-30 fØ;kUo;u ,tsUlh] lkW¶Vos;j fodkl ,tsUlh ,oa foHkkxksa ds chp leUo;u esa dehA

fØ;kUo;u ,tsUlh] lkW¶Vos;j fodkl ,tsUlh ,oa foHkkxksa ds chp leUo;u esa deh FkhA

परिवहन विभाग एवं वाणिज्यिक कर विभाग की ई–चालान प्रणाली लागू करने से संबंधित नस्तियों की जाँच में हमने पाया कि लागू करने वाली एजेंसी (संचालनालय कोष) एवं उन विभागों में जहॉ ई–चालान प्रणाली लागू की गयी है, के बीच समन्वयन की कमी थी। आगे विभागों एवं सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एजेंसी के बीच भी तालमेल की कमी थी। किसी भी विभाग द्वारा ई–चालान प्रणाली या सॉफ्टवेयर की किसी भी समस्या के अनुसरण हेतु किसी प्रकार की नस्ति का रखरखाव नहीं किया जा रहा है। अतः समन्वयन की कमी से चालान में हेरफेर, कोषालय स्तर पर आवश्यक क्षेत्रों के सम्पूर्ण हुए बिना ही आगे कार्यवाही हो जाना, दोहरे ट्रेजरी रिफरेन्स नम्बर उत्पन्न होना, बैंक डाटा को कोषालयीन डाटा में समाहित न करना; पांच माह तक ई–चालान द्वारा प्राप्त राशि को शासकीय लेखे से अलग रखने जैसी कमीया पाई गयी।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा कि, सॉफ्टवेयर को कोषालय डाटा से जोड़ने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

8-31 fu"d"k

''ई–चालान का क्रियान्वयन'' की निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने देखा कि:

- ई–चालान के क्रियान्वयन के प्रबंधन के लिए निगरानी समिति का गठन नहीं किया गया। सॉफ्टवेयर को लागू करने से पहले व्यवहार्यता अध्ययन अथवा सामानांतर जाँच के प्रबंध नहीं किये गए।
- इनपुट एवं वैधता जाँचों को सॉफ्टवेयर में सही तरीके से प्रयोग में नहीं लाया गया। सॉफ्टवेयर को दूसरे उपयोग करने वाले विभागों के सॉफ्टवेयर जैसे CGCOMTAX एवं VAHAN से पूर्ण रूप से एकीकृत नहीं किया गया। इस कमी के कारण कई स्तर पर मानवीय हस्तक्षेप हुए एवं डाटा में हेर फेर हुआ।
- चॉइस रजिस्ट्रेशन नम्बर के आबंटन में परिवहन विभाग द्वारा डीलर पॉइट रजिस्ट्रेशन के सॉफ्टवेयर में बढ़े हुए दर के अनुसार क्रियाकलाप के नियमों को अनुसरण नहीं करने से राजस्व ₹ 3.56 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

jk;iqj ¼fct; dqekj eksgUrh½
fnukad egkys[kkdkj ¼ys[kkijh{kk½] NÙkhlx<

ifrgLrk{kfjr

ubZ fnYyh ¼'kf'k dkUr 'kek½
fnukad Hkkjr ds fu;=d&egkys[kkijh{kd